संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1970

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

संसद के इस नए अधिवेशन में आपके कार्यों की सफलता के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरी कामना है कि आप अगले वर्ष भी देश की सेवा में निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें।

यह नए दशक का पहला बजट अधिवेशन है। 1969 में समाप्त होने वाला दशक हम पीछे छोड़ आये हैं। इन दस बरसों में चिन्ता, कष्ट और संकट का सामना रहा, लेकिन कुछ उपलब्धियां भी हुईं। भारत को दो लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और यहां दो बरस तक अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही। सभी देशवासियों ने बड़े हौसले के साथ इन मुसीबतों का सामना किया। लड़ाइयों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और सूखे की स्थिति के फलस्वरूप हमने संकल्प किया कि हम कृषि उत्पादन को पूरी शक्ति के साथ बढ़ायें। निस्संदेह, इस अवधि में कृषि-विकास के नए कार्यक्रम पर अमल किया गया जिसकी सफलता पर सारे संसार के देशों का ध्यान आकर्षित हुआ।

उद्योगों में मंदी के कारण जो चुनौतियां आईं, उनका भी कई तरीकों से मुकाबला किया गया। बहुत से उद्योगों ने अपने उत्पादन में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया और हमारे माल के लिए नई मंडियां खोजने की कोशिशें और बढ़ा दी गईं।

यदि आजादी से 1969 तक की हमारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा लिया जाए, तो माननीय सदस्यगण इस बात को मानेंगे कि हमारे देश ने उद्योग और कृषि, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान तथा शिक्षा और कला के क्षेत्रों में व्यापक उन्नति की है।

प्रगति का मार्ग सदा सरल नहीं बल्कि उसमें असफलता, निराशा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा देश आज गतिहीन नहीं है वह गतिमान हो गया है। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वे मुखरित और सक्षम हो उठे हैं–अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। ऐसे समाज में जहां ऊंच-नीच की भावना इस सीमा तक रही कि जिसमें अस्पृश्यता की भ्रष्ट विचाराधारा पनपी, अब हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के लोगों में आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास की भावना आ गई है।

लोगों में बड़ी ताकत आई है और जोश पैदा हुआ है। विचार, रुख और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पर यह जन-सहमति से और राजनैतिक लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत ही हो रहा है। पिछले बीस बरसों के विकास कार्यों से उत्पन्न इन शक्तियों को एक नई दिशा, उद्देश्य और प्राप्य लक्ष्य देने के लिए भारत सरकार कृत-संकल्प है।

सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है कि देश में असमानता है जो कि कुछ धनी वर्गों की सुख-समृद्धि की पृष्ठभूमि में और भी प्रखर हो उठती है परिणामस्वरूप, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और गरीबी का उन्मूलन एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। किसी एक की प्राप्ति दूसरे के बिना नहीं हो सकती।

सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी जो न्यायपूर्ण एवं मानवीय भावना से ओतप्रोत हो। ऐसा करते समय वह समाज के गरीब वर्गों का विशेष ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्र की जो भी थोड़ी-बहुत सम्पदा है, उसे कड़े परिश्रम और निष्ठा से काम करके बढ़ाया जाए। मेरी सरकार का यह उद्देश्य है कि उसका हर कदम देश को एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के गंतव्य की ओर अविचल ले जाए। यह काम लम्बा और कठिन है। न ही हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मार्गदर्शन हो सके। भारत की समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने तौर-तरीकों, इतिहास और परम्परा को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध भारतीय समाधान खोजने होंगे।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति विकास की गति को बढ़ाने के लिए बहुत आशाप्रद है। देश के कुछ भागों में, जैसे पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में मानसून की कमी और जाड़ों के मौसम में कुछ देरी से वर्षा होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी फसल होगी। यद्यपि चीजों की कीमतों में समय के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहा है और कुछ चीजों की कीमतों में कुछ वृद्धि होती भी दिखाई दी है, तो भी सब कुछ देखते हुए कीमतें अच्छी तरह नियंत्रण में हैं। खाद्य स्थिति संतोषजनक है और हमने अपने भण्डार में वृद्धि की है। फिर भी कीमतों में

स्थिरता बनाए रखने के लिए निरन्तर देखभाल करना जरूरी है। शोधन संतुलन सन्तोषजनक रहा है और वर्ष के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मॉनिटरी फंड) को पर्याप्त अदायगी करने के बाद भी आरक्षित कोष में वृद्धि ही होगी। हमें विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की पहली किश्त भी मिल गई है जिसके कारण युक्तिसंगत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के विकास को महत्वपूर्ण गति मिली है। उद्योग में सामान्यत: संतोषजनक वृद्धि हुई है और विशेष तौर से इंजीनियरी के क्षेत्र में स्थिति स्पष्टतया अच्छी हो गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नये कार्यक्रमों के अंतर्गत खेती-बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने में अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। अधिक उत्पादन करने वाली फसलों का क्षेत्रफल 1966-67 में 19 लाख हैक्टेयर था, वह 1968-69 में बढ़कर लगभग 90 लाख हैक्टेयर हो गया। 1969-70 में यह क्षेत्रफल और बढ़ जायेगा। देश में पहली बार खाद सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हुआ है और हम खाद का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। ट्रैक्टरों की बढ़ती मांग से यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि व्यवस्था में तकनीक का स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर बनाकर और बड़ी मात्रा में उन्हें विदेशों से मंगाकर सरकार उस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। छोटे उद्यमियों, विशेषकर, इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा कृषि-सेवा केन्द्र खोलने के एक बड़े कार्यक्रम को बैंकिंग क्षेत्र की सहायता से जोरों से कार्यान्वित करने का भी विचार है।

खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने और व्यापक रूप से उसका लाभ वितरित करने की दृष्टि से गांवों में बिजली देने का कार्यक्रम तैयार करना और भूमि से जल निकालने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों के बिजली बोर्डों को बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेने की सुविधा दे दी गई है। इन साधनों का विशेष प्रयोग ये बोर्ड गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए करेंगे। माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक ग्राम बिजली निगम स्थापित कर दिया गया है जो बिजली बोर्डों को धन देने की व्यवस्था करेगा ताकि वे उत्पादक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में पम्पसैट चालू करा सकें।

कृषि विकास में उत्कृष्ट सफलता अभी तक उन सिंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है जिन पर अधिक उत्पादन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं। उसे अब और व्यापक बनाना है। आगे आने वाले बरसों में भारत सरकार अपना ध्यान सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्रित करेगी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक के विकास पर अनुसंधान करने को तो प्राथमिकता दी ही जायेगी। साथ ही, मेरी सरकार का इरादा है कि कुछ नये तरीके अपनाने और धीरे-धीरे कार्यक्रम को व्यापक बनाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रमुख परियोजनाएं (पायलट प्रोजेक्ट) शुरू की जाएं।

मेरी सरकार ने कृषि से संबद्ध समस्याओं और नीतियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है। अब से पहले ऐसा सर्वेक्षण चालीस वर्ष पहले हुआ था। तब से इस क्षेत्र में इतनी नई बातें हुई हैं कि नया सर्वेक्षण

आवश्यक हो गया है। मेरी सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं का विशद अध्ययन करने के लिए एक जांच समिति स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

सरकार को इसका पूरा आभास है कि देहातों में असंतुलन बढ़ रहा है जिससे उत्पन्न तनावों के कारण देश में जहां-तहां हिंसात्मक उपद्रव हुए हैं। ये निस्संदेह सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याएं हैं, तो भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हटाकर उन्हें नहीं देखा जा सकता। अनुचित काश्तकारी पद्धति से कृषि उत्पादन की वृद्धि में अड़चनें आना स्वाभाविक हैं। इसलिए, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे काश्तकारी की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए, भूमि-सुधार, उचित लगान, जोत का निर्धारण, भूमिहीनों में भूमि वितरण और छोटे किसानों को कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति करने के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दें। भूमि-सुधार से संबंधित समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। मेरी सरकार को पूरी आशा है कि विभिन्न राज्य इस स्थिति की वास्तविकता पर ध्यान देंगे और इसे सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। भूमि-सुधारों पर तेजी के साथ अमल करने से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जन-जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार को इन लोगों के कल्याण की विशेष चिन्ता है।

1966 और 1967 में उद्योग के क्षेत्र में जो झटके आये थे, उनके बाद उद्योगों के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1969 में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ा होगा। वर्तमान औद्योगिक स्थिति की विशेष उत्साहवर्धक बात यह है कि पूंजीगत माल और उपकरण तैयार करने वाले बहुत से उद्योग फिर से अधिक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं।

उद्योग लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक नई लाइसेंस नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य होगा—आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की भावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना। छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना इसकी प्रमुख विशेषता है। सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने को बहुत उत्सुक है। इसीलिये, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची बढ़ा दी गई है।

मेरी सरकार के विचार में पब्लिक और प्राइवेट, दोनों सेक्टरों में बड़े-बड़े उद्योगों के लिए इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे आनुषंगी उद्योगों को पुर्जे बनाने का काम दें। सरकार की लाइसेंस और वित्त-संबंधी नीतियों का उद्देश्य यह होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन दिया जाये। पिछले कुछ महीनों में सरकार का ध्यान विशेष तौर से इस पर भी गया है कि प्रदेशों के असंतुलन को दूर किया जाये। उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों का पता लगाने और उनके औद्योगिक विकास को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक संगठित नीति बनाई गई है।

पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में वित्तीय संस्थानों की नीतियों को धीरे-धीरे नया रुख दिया जा रहा है। यह नीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि उनकी सहायता से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के लिए अधिक धनराशि तो सुलभ कराई जाये, लेकिन वे उस हद तक ही सफल हो सकेंगी कि उन उद्योगों के लिए जिस निचले ढांचे का निर्माण करना जरूरी है, वह जल्दी से तैयार कर दिया जाए। इस संबंध में प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मेरी सरकार संतुलित ढंग से प्रदेशों के विकास को समुन्नत करने में राज्य सरकारों के साथ निकट सामंजस्य रखकर काम करने का प्रयास करेगी।

चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आरम्भ हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। हालांकि उत्पादन में कमी को किसी हद तक पूरा करने के लिए बाहर से इस्पात मंगाने के प्रबंध कर दिये गये हैं—तो भी, हमारा लक्ष्य यह है कि वर्तमान संयन्त्रों से ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाए और जहां तक हो सके, जल्दी ही अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जाए।

सरकार ने बोकारो प्लांट के दूसरे चरण का कार्य तत्काल आरम्भ करने का निर्णय किया है। निश्चय ही हमारा उद्देश्य यह होगा कि समुचित स्थानों पर अन्य इस्पात कारखाने लगाने का काम शुरू किया जाये जिससे कि अवस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार हो सके। आजकल जो चौथी योजना बनाई जा रही है, उससे पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार देश में इस्पात उद्योग का और विस्तार करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इन निर्णयों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होगा कि हमारे भारी इंजीनियरी कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकेगा।

आर्थिक आत्म-निर्भरता की दिशा में हमारे कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण अंग है—तेल की खोज। चालू वर्ष में तेल खोज निकालने और उसका उत्पादन करने में प्रगति हुई है। 1969 में कुल मिला कर 67 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष 58 लाख मीट्रिक टन तेल का ही उत्पादन हो सका था। एक नई महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि कैम्बे की खाड़ी के तट से दूर के क्षेत्रों में भी तेल खोजने का काम आरम्भ कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही छिछले पानी में पहला कुआं खोद लेंगे और फिर कैम्बे की खाड़ी के गहरे पानी में भी तेल की खोज शुरू करने का प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लेंगे। ईरान एवं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का समुद्र तट से परे संयुक्त कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो चुका है।

इस्पात और तेल के अलावा, हमारी योजना में खाद बनाने को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष में दो नए खाद संयंत्रों से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है और नाइट्रोजन की कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर 134 लाख मीट्रिक टन कर दी

गई है। आशा है कि 1970 में दुर्गापुर, कोचीन और मद्रास में 500,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले तीन और कारखाने काम करना शुरू कर देंगे। कोयला-आधारित संयंत्रों पर भी काम जल्दी ही आरम्भ हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम पूरे जोश के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

विकास की गति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। विदेशों को निर्यात करने की दिशा में पिछले वर्ष बहुत सन्तोषजनक प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन की गति में हाल की वृद्धि के बावजूद, आयात बराबर गिरता रहा और इस तरह प्रतिस्थापन–आयात में सफलता देखने को मिली। लेकिन, चालू वर्ष के पहले सात महीनों में, बाह्य और आंतरिक कई कारणों से निर्यात उतना अच्छा नहीं हो सका। इसलिए, मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने का एक ठोस कार्यक्रम हाथ में लिया है।

हमारे शोध संतुलन में अच्छी साम्यावस्था लाने के लिए अदृश्य खाते में हुई आय का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिशा में इस वर्ष कुछ प्रगति हुई है। यह सन्तोषजनक बात है कि 1968 के मुकाबले 1969 में पर्यटक अधिक संख्या में भारत आए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस खाते में हमारी विदेशी मुद्रा की आय 27 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार हमारे जहाजों के टन-भार में वृद्धि होने से समुद्रपार का व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा अधिक मात्रा में होने लगा और अब जहाजरानी में भारतीय जहाजों का हिस्सा 18 और 20 प्रतिशत के बीच है।

हमारे देशवासियों के रहन-सहन के स्तर की वृद्धि का संबंध परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं। पिछले चार वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा है। परन्तु यदि दस वर्षों में ही आज की जन्म दर को 39 प्रति हजार से 25 प्रति हजार तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना है तो अभी इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

हमारी आर्थिक नीति के तथ्यों की परिधि यह होनी चाहिए कि रोजगार के लिए धन-सम्पदा का उत्पादन अधिक किया जाये और उसका समुचित वितरण हो और साथ ही आय-उत्पादक साधन भी बढ़ाए जायें। ये प्राथमिकतायें चौथी योजना के प्रलेख में दी जायेंगी जो कि जल्दी ही अंतिम रूप से तैयार हो जायेगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मेरी सरकार को मालूम है कि बेरोजगारी हमारी अर्थ-व्यवस्था के सम्मुख ऐसी गम्भीर समस्या है जिसे जल्दी ही हल करना होगा। पिछले दो बरसों में संगठित क्षेत्र में, रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत अवरुद्ध रहने के बाद उसमें दो प्रतिशत वृद्धि हुई है; यह आगे के लिए आशाजनक है।

केन्द्र और राज्य, दोनों की योजनाओं में, पब्लिक सेक्टर के व्यय में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट रूप से वृद्धि इसलिए की गई है कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही ऐसे कदम भी उठाने हैं कि विकास के साथ-साथ

रोजगार भी बढ़े। अधिक रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठा लिये गये हैं। चालू वर्ष में, यह प्रबंध किया गया है कि राज्य सरकारें बड़े और छोटे सिंचाई कार्यक्रमों तथा गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए अधिक धनराशि नियत करें जिससे कि बड़ी संख्या में इंजीनियरों और तकनीशियनों को रोजगार मिल सके। भूमि का कृष्यकरण, छोटे सिंचाई कार्यों के नवीकरण, गांवों को मंडियों के साथ मिलाने के लिए सड़क-निर्माण के कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से ग्राम विकास और रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

योजना के अंतर्गत सुलभ साधनों को इकट्ठा करके गांवों में बड़े पैमाने पर एक निर्माण कार्यक्रम बनाया जायेगा जिसे 12 से 18 महीनों की अवधि में ही कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक ऐसा काम है जिसके लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत योजना तैयार करनी होगी और राज्य स्तर पर स्थानीय रूप से पहल करनी होगी। निर्माण-कार्य से इंजीनियरों, तकनीशियनों, कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए, मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि जिन बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर मकानों की विकट समस्या है, वहां मकानों के लिए जमीनें देने, कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने और गन्दी बस्तियों की सफाई करने के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण और विकास जैसे कार्यक्रमों को पूरा करने के अधिकाधिक साधन जुटाए जायें।

हमारे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को भी इस प्रकार का नया रुख देना होगा कि जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। हमारे पोलिटेकनीकों में अब जो शिक्षा दी जाती है, उसे उद्योगों के व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ना होगा। इसके लिए पोलिटेकनीकों में दी जाने वाली शिक्षा में परिवर्तन करना होगा ताकि सिद्धान्त को व्यवहार के साथ संबद्ध किया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग कार्य से। इसके साथ ही साथ, हमें अन्य विद्यार्थियों को भी अधिकाधिक अवसर देने हैं जिससे कि वे काम का अनुभव प्राप्त कर सकें। डिग्री स्तर पर पहले दो वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम आरम्भ करने का इरादा है जो कि धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों पर लागू कर दिया जायेगा। आशा है कि इस योजना में लगभग एक लाख विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को समाज-सेवा में लगे रहने का अवसर मिलेगा जिससे वे अनुभव करेंगे कि वे भी राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार हैं।

पूंजी लगाने से अधिक रोजगार मिलेगा पर पूंजी लगाने के लिए अधिक बचत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। उनकी अधिक शाखाएं खोलने का जो साहसपूर्ण कार्यक्रम है, उससे यह आशा की जा सकती है कि पहले की अपेक्षा अब और बड़े पैमाने पर धन जमा होगा। इसके साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों को पायेदार और उत्पादक योजनाओं के लिए बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीयकरण की नीति में निहित भावना का

प्रभाव बैंकों के कार्य-कलापों पर पड़ने लगा है और उन्होनें खेती-बाड़ी, सेवा-उद्योग और खुदरा व्यापार को उत्पादक और लाभकारी कार्यों के लिए सहायता देना आरंभ कर दिया है जिनकी अभी तक घोर उपेक्षा की जाती रही है। उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये निर्णय के आधार पर जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कानून फिर से बन जाएगा, तब जो लाभकारी प्रक्रिया अभी तक अपनाई गई है, वह और भी सक्रिय हो जाएगी।

इस स्थिति में सरकार की श्रम नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस नीति का हमेशा यह उद्देश्य रहा है कि मजदूरों के रहन-सहन और उनके काम करने की दशा में सुधार किया जाये, उनकी मजदूरी और वेतन को बढ़ाया जाए और किसी हद तक उन्हें काम मिलने का आश्वासन भी प्राप्त हो। इस नीति के अनुसार, सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि पत्तन एवं गोदी मजदूरी बोर्डों की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। सरकार ने लोहा तथा इस्पात उद्योग में मजदूरी के ढांचे में संशोधन करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है। इस आयोग ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने और प्रभावकारी सामूहिक मोल-तोल को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं। मेरी सरकार खासतौर से संगठित श्रमिकों के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। अनुशासन एवं निरंतर कठिन परिश्रम के बिना देश अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता।

लेकिन सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में किये जाने वाले ये सारे प्रयास तब ही सफल हो सकेंगे जबकि शांति और सामंजस्य का वातावरण और लोकतंत्र के सिद्धांतों में अटूट निष्ठा बनी रहे। इसलिए, हिंसा की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति बड़ी चिन्ता का कारण बन गई है। यह समस्या राजनीतिक मतभेदों से परे है और सरकार इसके निराकरण के लिए सभी राजनीतिक दलों और जिम्मेदार नागरिकों का सहयोग चाहती है।

हिंसा का सबसे अधिक चिन्ताजनक स्वरूप वह है जब अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि उससे सभ्य जीवन के सभी मूल्यों का विनाश होता है। 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग के बाद से साम्प्रदायिक संबंधों में सुधार दिखाई दिया था। लेकिन फिर अहमदाबाद में दिल को दहला देने वाली घटनाएं हुईं। उससे हमारी प्रतिष्ठा भंग हुई और हमारे गौरव को कलंक लगा। ऐसी घटनाएं हम सब लोगों के लिए चुनौती हैं जो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की मर्यादा और मानव-जीवन के प्रति आदर रखने में विश्वास करते हैं। हमें इस बात की खासतौर से बहुत चिन्ता है कि उग्रवादी राजनैतिक दल निरन्तर हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकलापों के पीछे एक राजनैतिक विचारधारा है, जिससे वे अपने विध्वंसकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक असन्तोष का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हम सामाजिक असन्तोष

के वास्तविक कारणों को दूर करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाइयों का सख्ती से दमन करना होगा।

भूतपूर्व राज्यों के नरेशों ने हमारे इतिहास के एक संकटमय समय में जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए एक लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत भारत के शांतिपूर्ण एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया था। मुझे पूर्ण आशा है कि देश के व्यापक हित में वे उसी तरह वर्तमान युग की सामाजिक आवश्यकताओं को समझेंगे और एक बार फिर सद्भाव और सहयोग की भावना दिखायेंगे। राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों का हमारे आज के सामाजिक उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है और वह समतावादी सामाजिक व्यवस्था से भी मेल नहीं खाते। इसलिए, सरकार ने भारत की पूर्व रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इस पर अमल करने के लिए कानून लाया जायेगा। लेकिन हमारा यह विचार है कि संक्रमणकाल में कुछ ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिससे कि पूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने का समय मिल सके।

मेरी सरकार को पूरी आशा है कि चंडीगढ़ और फाज़िल्का तहसील के कुछ भाग के संबंध में जो निर्णय लिये गये हैं, उनसे दोनों पड़ोसी राज्यों के लोग आगे आने वाले रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगा सकेंगे। जब भावनायें भड़का दी जाती हैं, तब हर एक को सन्तुष्ट करने वाला कोई निर्णय लेना संभव नहीं होता। लेकिन सरकार को विश्वास है कि जो निर्णय लिये गये हैं, वे न्यायसंगत और निष्पक्ष हैं। सरकार जल्दी ही एक कमीशन बिठायेगी जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को फिर से ठीक करने के दावों पर विचार करेगा। भाखड़ा प्रयोजना के प्रबन्ध तथा व्यास प्रयोजना के निर्माण से संबंधित वर्तमान प्रबन्धों में आवश्यक हेरफेर करने पर भी सरकार विचार करेगी।

हमारी अगली दस वर्षीय जनगणना 1971 के आरम्भ में की जायेगी। इसके साथ हमारे देश की जनगणना के इतिहास के सौ वर्ष पूरे होंगे। भारत में जनगणना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है और इस प्रकार के पेचीदा और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सफलता तब ही संभव है जबकि केन्द्र और राज्यों की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारीगण और प्रत्येक नागरिक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमने अन्य देशों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने और उसे अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। शांति, अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और परस्पर लाभकारी सहयोग के रास्ते पर हम निरन्तर चल रहे हैं।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत की स्वीकृति का क्षेत्र बढ़ रहा है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का क्षेत्र स्थायी रूप से व्यापक हो जायेगा और इससे मैत्रीपूर्ण सहयोग की नई भावना उत्पन्न होगी, ऐसा हमारा विचार है। हमारा विश्वास है कि सैनिक गुटों का कठोर रुख ढीला पड़ने और शक्ति गुटों के बीच तनाव कम होने से गुटों से अलग

रहने के सिद्धांत को अब अधिक स्वीकृति मिलने लगी है और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, समृद्धि और स्थिरता को समुन्नत करने के अवसर बढ़ रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि अपने पड़ोसी देशों–श्रीलंका, बर्मा*, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान–के साथ हमारे संबंध अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। उन देशों और अन्य देशों के साथ भी आपसी सहयोग और समझ-बूझ के नये रास्ते बराबर खोजे जा रहे हैं।

सरकार की यह नीति रही है कि सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक संबंधों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये। विकासशील देशों के साथ आमतौर से और एशिया के देशों के साथ खासतौर से इस प्रकार के संबंध बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अब जबकि भारत में कृषि और उद्योग का विकास महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच गया है, हमारे लिये यह सम्भव हो गया है कि हम इस दिशा में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कुछ योगदान दे सकें। हमने इस बात का समर्थन किया है कि एशिया एवं सुदूर-पूर्व के देशों की आर्थिक परिषद् (ईकाफे) के अधीन एशियाई आर्थिक सहयोग मंत्रिपरिषद् के जरिये व्यापक आधार पर प्रादेशिक प्रबंध किये जायें।

सरकार सच्चे दिल से यह चाहती है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता के साथ समझ-बूझ, सहयोग और मित्रता बढ़े। हमने वर्तमान गतिरोध को तोड़ने के लिये पाकिस्तान सरकार को कई रचनात्मक सुझाव और प्रस्ताव भेजे। खेद है कि हमने जो पहलकदमियां कीं, उनका पाकिस्तान से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। फिर भी, मेरी सरकार सहयोग की भावना मित्रता और अच्छे पड़ोसियों से व्यवहार के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की निरन्तर कोशिश करती रहेगी।

चीन के साथ भी हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हम एक-दूसरे देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के परस्पर आदर और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों का संचालन करें। हम आशा करते हैं कि चीन हमें अपनी विदेश नीति बरतने और अपने घरेलू मामलों का संचालन करने के हमारे अधिकार का आदर करेगा।

मेरी सरकार इस बात से चिंतित है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में लड़ाई का कोई समाधान नहीं हो सका है। इन दोनों लड़ाइयों के कारण विश्व की शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 में प्रस्ताव पर अमल कराये। वियतनाम में लड़ाई अभी चल रही है। मेरी सरकार ने बराबर यह कहा है कि वहां से तमाम विदेशी फौजों को हटाया जाये ताकि वियतनाम के लोग किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भविष्य का स्वयं ही निर्णय कर लें।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

हमें बहुत-से देशों और सरकारों के प्रमुखों का अपने बीच स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष, मैं अपने पड़ोसी मित्र देश, श्रीलंका की यात्रा पर गया था और प्रधान मंत्री ने बर्मा*, अफगानिस्तान, जापान और इंडोनेशिया की यात्रा की थीं। ये यात्राएं इन देशों के साथ समझ-बूझ और मित्रता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुईं।

हम शांति के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन हमें ऊंचे स्तर पर अपनी रक्षा की तैयारियां रखने के प्रति भी जागरूक रहना है। हमारी रक्षा सेनाओं को सज्जित करने में आत्मनिर्भरता की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। रक्षा कार्यों के लिये देश में आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। बहुत तरह के महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूद के विषय में हम अब आत्मनिर्भर हो गये हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोनॉटिक्स और जंगी जहाजों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी देश में उत्पादन करने में काफी प्रगति की है।

अगले वित्तीय वर्ष (1970-71) के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा आपके विचार के लिये जल्दी ही रखा जायेगा।

चौदह बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण करने का हाल में जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके स्थान पर सरकार संसद के सामने एक बिल प्रस्तुत करेगी। एक बिल राज्य सभा के सामने पहले से ही है जोकि अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अवस्थिति अध्यादेश, 1969 के स्थान पर आ जायेगा। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 के स्थान पर भी एक बिल रखने का सरकार का इरादा है। सरकार इस सत्र में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है:—

1. प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का बिल।
2. राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर रोक बिल, 1970
3. विदेशी सहायता (नियमन) बिल, 1970
4. फसल बीमा बिल, 1970
5. समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना के लिए बिल।
6. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिए बिल।
7. एनसीडीसी (संशोधन) बिल, 1970।
8. भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबंध के लिए एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम स्थापित करने के लिए बिल।

संसद सदस्यगण! आप ऐसे समय में यहां इकट्ठा हो रहे हैं जबकि लोग बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का सही मूल्यांकन करें और अपनी विवेकशीलता तथा बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।